भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 434

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण

434. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बिना किसी बाधा के खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति में हुए व्यवधान के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का केरल में राशन खुदरा विक्रेताओं का पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि केरल में राशन डीलरों के आंदोलन के कारण केरल में खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित हुई थी; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सरकार बिना किसी बाधा के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करती है।

खाद्यान्न वितरण प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटिकृत कर दिया गया है, पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर

.....2/-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिए गए हैं, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब तक, देश (केरल राज्य सहित) में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के द्वारा पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके स्वचालित किया गया है।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, खाद्यान्न वितरित करने और एक मजबूत वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

(घ) और (ड.): केंद्र सरकार की उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी के पद्धति का प्रावधान करते हैं, के अनुसार एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को अप्रैल, 2022 से निम्नानुसार ब्यौरे के अनुसार बढ़ाया गया है:-

राज्यों की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन का घटक	**पूर्व-संशोधित** मानदंड (दर, रुपए प्रति क्विंटल में)	**संशोधित मानदंड** (दर, रुपए प्रति क्विंटल में)
सामान्य श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन एवं हैंडलिंग	65	70
	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन एवं हैंडलिंग	100	105
	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

.....3/-

इसके अलावा, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

वर्तमान में, सरकार के पास मार्जिन में और बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ): राशन डीलरों के आंदोलन के कारण केरल में खाद्यान्न आपूर्ति में हुए व्यवधान के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

******